

वित्त तथा व्यय सर्कुलर सं. 04/2007**विषय: टैक्सी (डीएलवाई) को किराये पर लेने के लिए दरों का संशोधन**

डीडीए के उपाध्यक्ष निम्नानुसार टैक्सियों को किराये पर लेने के लिए दरों/शुल्कों को संशोधित करने से प्रसन्न हैं:-

<u>क्रम संख्या</u>	<u>मद</u>	<u>दर</u>
1.	100 किमी. की दूरी और 10 घंटों के लिए मासिक किराया	रु. 14,996/-

सेवा कर और अन्य वैधानिक कर; यदि कोई लागू हो, का भुगतान उपरोक्त दरों के अतिरिक्त करना होगा। टैक्सी (डीएलवाई) को किराये पर लेने के लिए अन्य नियम और शर्त अपरिवर्तित रहेंगे।

यह दर तुरंत प्रभाव से लागू हैं।

ह/-

(एस.डी. शर्मा)

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (एफ एंड ई)

प्रतिलिपि:

1. विशेष कार्याधिकारी, उपराज्यपाल, दिल्ली
2. विशेष कार्याधिकारी, उपाध्यक्ष, डीडीए
3. विशेष कार्याधिकारी, एफएम, डीडीए
4. प्रमुख आयुक्त सह सचिव
5. मुख्य सतर्कता अधिकारी
6. सभी आयुक्त
7. मुख्य कानूनी सलाहकार
8. मुख्य वास्तुकार
9. सभी मुख्य अभियंता

10. सीएओ/ एफए (एच)/ निदेशक (एलसी)
11. सभी एसई
12. निदेशक (नजारत)/ निदेशक (आंतरिक लेखा)/ निदेशक (वित्त)
13. सभी संयुक्त/ उप सीएओ
14. सभी आहरण और संवितरण अधिकारी
15. सभी शाखा अधिकारी
16. केवल हिंदी रूपांतरण के लिए हिंदी अधिकारी
17. गार्ड फाइल
18. नोटिस बोर्ड

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (एफ एंड ई)